बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड आर.ए.एस.

विविध फौजदारी प्रकरण सं.1/2018

सायल
श्री हनुमानसिंह पुत्र श्री जगदीशसिंह
आढा निवासी उड
जरिये कार्यपालक मजिस्ट्रेट (तहसीलदार)
सिरोही

बनाम

गैरसायलान
1– श्री नारायणसिंह पुत्र उमरदान
2– श्री शैतानसिंह पुत्र श्री उमरदान
जातियान चारण निवासी उड

उपस्थित :–
1–श्री हनुमानसिंह चारण स्वंय
2–श्री राजेन्द्रसिंह आढा,वकील गै.सं.2

इस्तगासा अर्न्तगत धारा 133 सी.आर.पी.सी 1973 के तहत
बाबत लोक न्यूसेन्स हटाने

निर्णय

दिनांक 29–5–2018

परिवादी श्री हनुमानसिंह पुत्र श्री जगदीशसिंह आढा निवासी उड ने एक परिवाद श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय,सिरोही को दिनांक 5–2–2018 को पेश कर निवेदन किया कि हमारे पडोसी मकान की नीवं के सहारे नारायणसिंह व शैतानसिंह ने करीब तीन माह पूर्व जे.सी.बी. से खाई खोद दी है जिससे मकान मे दरारे आ गई है। शीघ्र ही खाई नही भरी गई तो मकान गिर सकता है जिससे जन व धन की हानि हो सकती है। उल्लेखनीय है कि नारायणसिंह और शैतानसिंह दोनो भाई है। शैतानसिंह की जमीन हमारी जमीन से सटी हुई है,जिसको लेकर वह झगडा करता और रंजिश रखता है। दोनो भाईयों ने हमे नुकसानकारित करने के उद्देश्य से खाई खोदी है। अतः खाई भरने के लिये दोनो भाईयों नारायणसिंह और शैतानसिंह को पाबंद करावें । जिस पर जिला कलेक्टर महोदय,सिरोही ने तहसीलदार,सिरोही को परिवाद मे अकित तथ्यों की जांच के आधार पर नियमानुसार प्रकरण अर्न्तगत धारा 133 सी.आर.पी.सी. के तहत बनाकर उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिरोही को पेश करने के निर्देश दिये गये । जिस पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट (तहसीलदार) सिरोही ने प्रकरण अर्न्तगत धारा 133 सी.आर.पी.सी. के तहत लोक न्यूसेन्स हटाने का पेश कर निवेदन किया कि सायल श्री हनुमानसिंह पुत्र श्री जगदीशसिंह आढा निवासी उड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध मे प्रकरण की जांच पटवारी हल्का उड से करवाई गई । पटवारी हल्का की जांच रिर्पोट अनुसार परिवादी हनुमानसिंह पुत्र जगदीशसिंह आढा कौम चारण का मकान खसरा नंबर 159 किस्म पडत–ा स्वंय की खातेदारी (पिता के नाम) भूमि मे स्थित है तथा प्रार्थनापत्र मे वर्णित नारायणसिंह व शैतानसिंह का मकान परिवादी के पास व सटा हुआ है जो कि प्लोट के रूप मे है। उक्त प्लोट खसरा नंबर 160/619 किस्म आबादी मे स्थित है। उक्त प्लोट मे सायल के नींव के सहारे नारायणसिंह,शैतानसिंह पि.उमरदान जाति चारण निवासी उड ने नींव की खुदायी की है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट सिरोही स्वंय द्वारा मौका देखा गया सायल को मौके पर बुलाया गया लेकिन सायल उपस्थित नही मिला । परिवादी सायल के मकान के सहारे लगभग 5 फीट गहरी नींव खोदी हुई है सिमे बारिश के मौसम मे पानी भर सकता है। जिससे सटे हुये मकान मे खतरा हो सकता है। जिससे लोक न्यूसेन्स की स्थिति बन सकती है।अतः प्रस्तुत प्रकरण मे सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के अर्न्तगत कार्यवाही किये जाने हेतु रिर्पोट कार्यपालक मजिस्ट्रेट सिरोही ने पेश की है।

कार्यपालक मजिस्ट्रेट,सिरोही द्वारा प्रस्तुत उक्त इस्तगासा अ.धा. 133 सीआरपीसी व संलग्न सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र व पटवारी हल्का उड की जांच रिर्पोट की प्रति का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया तो उक्त इस्तगासा मे अंकित तथ्यों की जांच से से यह न्यायालय प्रथम दृश्टयॉ सहमत होने से दिनांक 28–2–2018 को दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किये जाकर प्रकरण वास्ते जवाब हेतु इस न्यायालय मे दिनांक 17–4–2018 को रखा गया । जिस पर गैरसायल संख्या 1 श्री नारायणसिंह चारण ने अपने जवाब मे कथन किया है कि परिवादी ने अपने मकान के स्वामित्व के मकान के कोई दस्तावेज पेश नही किये है तथा कोई आवासीय मकान है तो कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाये बगैर उसका अकृषि उपयोग नही किया जा सकता है। गैरसायल संख्या 1 ने नोटिस मे वर्णित अनुसार कोई खुदाई नही करना बताया है। धारा 133 सी.आर.पी.सी. के तहत लोक न्यूसेन्स को हटाने के लिये है जो इस प्रकरण पर लागु नही है। इस कारण गैरसायल संख्या एक ने उनके विरूद्व यह कार्यवाही ड्रोप करने का निवेदन किया है। इसी प्रकार गैरसायल संख्या 2 श्री शैतानसिंह चारण ने अपने जवाब मे कथन किया कि सायल परिवादी ने अपने पिता के खातेदारी कृषि भूमि मे आवासीय मकान होने का उल्लेख किया है जिसके लगता गै.सा.संख्या 2 का कोई भूखण्ड भूमि नही है। न ही इस प्रकरण से कोई लेना देना हैं इस प्रकार परिवादी ने गैरसायल संख्या 2 को अनावश्यक रूप से हैरान परेशान करने की बदनियत से यह झूठा प्रकरण दर्ज करवाया है इसलिये इस प्रकरण को खारिज करने का निवेदन किया है।

विचाराधीन प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 15–5–2018 को सायल हनुमानसिंह चारण ने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर आगामी बारिश के मौसम मे बारिश हो जाती है तो मेरे (सायल) का पुश्तैनी मकान गिर जायेगा इससे जन और धन हानि होने की आंशका है। ऐसी स्थिति मे उचित समझे तो क्षतिपूर्ति सहित निर्णय फरमावें तथा सायल ने दूसरा प्रार्थनापत्र इस आश्य का पेश कर निवेदन किया कि गैरसायल द्वारा उक्त कार्यवाही करने से सायल को 2 लाख उपर का नुकसान हो चुका है और वर्तमान मे भी नुकसान जारी है। अतः आप श्रीमान अपने निर्णय मे मेरे हुये नुकसान जो भी श्रीमान विधि सम्वत समझे दिलवाने का आदेश फरमावें ।

इस न्यायालय मे दिनांक 10–5–2018 को भू.अ.नि. जावाल ने दिनांक 15–2–2018 को संयुक्त मौका जांच फर्द दि 15–2–2018 तहसीलदार जी/सिरोही/विकास अधिकारी पं.सं. सिरोही पटवारी उड व भू.अ.नि. जावाल के साथ परिवादी श्री हनुमानसिंह पुत्र जगदीशसिंह आढा जाति चारण नि.उड के परिवाद की जांच हेतु मौके पर जगदीशसिंह पुत्र मदनदानजी/शैतानसिंह पुत्र उमरदानजी उपस्थित मिले । उक्त मौका जांच फर्द के अनुसार ग्राम उड के राजस्व रेकर्ड अनुसार एवं मौका जांच अनुसार परिवादी का मकान खसरा नंबर 159 किस्म पडत I/खातेदारी भूमि मे स्थित है। उक्त खसरा नंबर के दक्षिण दिशा मे खसरा नंबर 160/619 किस्म आबादी स्थित है जो भवदेवसिंह/नारायणसिंह/शैतानसिंह पि. उमरदानजी दरियाबाई बेवा उमरदानजी जाति चारण नि.उड की भूमि है जो परिवादी के मकान के पास प्लोट के रूप मे स्थित है श्री शैतानसिंह को पूछताछ करने पर बताया कि उक्त प्लोट उनके भाई नारायणसिंह का है जो आज किसी कार्यवश गांव से बाहर गये हुये है। श्री नारायणसिंह द्वारा परिवादी हनुमानसिंह के मकान की नींव के पास जे.सी.बी. की सहायता से खाई खोद दी है। जिससे परिवादी का मकान क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना है। मकौके पर श्रीमान तहसीलदार सा. द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 133 न्यूसेन्स हटाने के लिये सर्शत आदेश) के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ।

इस न्यायालय द्वारा जरिये पत्र कमांक 1946 दिनांक 8–5–2018 के द्वारा तहसीलदार /सिरोही से विचारण प्रकरण मे मौके एवं रेकर्ड के आधार पर तथ्यात्मक जांच रिर्पोट चाही जाने पर तहसीलदार/सिरोही ने अपने पत्र कमांक 2027 दिनांक 22–5–2018 के द्वारा यह अवगत कराया कि भू.अ.नि. जावाल की मौके की स्थिति की मौका फर्द दिनांक 15–2–2018 के अनुसार यथावत है तथा वर्तमान मे मौके पर खाई खोदी हुई है। मूल मौका फर्द व मौके के फोटो ग्राफस संलग्न है। जमाबंदी की प्रति पूर्व मे भिजवाई जाना तहसीलदार/सिरोही ने बताया है।

इस न्यायालय मे दिनांक 24–5–2018 को विचारण प्रकरण मे प्रकरण अर्न्तगत धारा 133 सी.आर.पी.सी. के तहत सायल हनुमानसिंह चारण स्वंय तथा वकील गैरसायल संख्या 2 द्वारा अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

हमने सायल हनुमानसिंह चारण व वकील गैरसायल संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत अंतिम बहस पर गंभीरता से मनन किया तथा विचारण प्रकरण की पत्रावली के संलग्न सायल हनुमानसिंह चारण द्वारा जिला कलेक्टर महोदय/सिरोही को प्रस्तुत रिर्पोट दिनांक 22–11–2017/कार्यपालक मजिस्ट्रेट सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अर्न्तगत धारा 133 सीआरपीसी दिनांक 21–2–2018/ गैरसायल संख्या 1 का जवाब व गैरसायल संख्या 2 का जवाब भू.अ.नि.जावाल की मौका जांच फर्द दिनांक 15–2–2018 तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट/(तहसीलदार)सिरोही की तथ्यात्मक रिर्पाट दिनांक 22–5–2018 का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर भी मनन किया । विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन से यह पाया कि उपरोक्त रेकर्ड पत्रावली के संलग्न सायल हनुमानसिंह चारण द्वारा जिला कलेक्टर महोदय/सिरोही को प्रस्तुत रिर्पोट दिनांक 22–11–2017/कार्यपालक मजिस्ट्रेट सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अर्न्तगत धारा 133 सीआरपीसी दिनांक 21–2–2018/ गैरसायल संख्या 1 का जवाब व गैरसायल संख्या 2 का जवाब भू.अ.नि.जावाल की मौका जांच फर्द दिनांक 15–2–2018 तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट/(तहसीलदार)सिरोही की तथ्यात्मक रिर्पाट दिनांक 22–5–2018 के आधार पर सायल के पुश्तैनी मकान की नींव के सहारे गैरसायल नारायणसिंह व शैतानसिंह द्वारा करीब चार पांच माह पूर्व जे.सी.बी. से खाई खोदने की पुष्टि होती है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट सिरोही (तहसीलदार) सिरोही ने भी अपने इस्तगासा परिवाद दिनांक 21–2–2018 मे अंकित तथ्यों के अनुसार सायल श्री हनुमानसिंह पुत्र श्री जगदीशसिंह आढा निवासी उड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध मे प्रकरण की जांच पटवारी हल्का उड से करवाई गई । पटवारी हल्का की जांच रिर्पोट अनुसार परिवादी हनुमानसिंह पुत्र जगदीशसिंह आढा कौम चारण का मकान खसरा नंबर 159 किस्म पडत–I स्वंय की खातेदारी (पिता के नाम) भूमि मे स्थित है तथा प्रार्थनापत्र मे वर्णित नारायणसिंह व शैतानसिंह का मकान परिवादी के पास व सटा हुआ है जो कि प्लोट के रूप मे है। उक्त प्लोट खसरा नंबर 160/619 किस्म आबादी मे स्थित है। उक्त प्लोट मे सायल के नींव के सहारे नारायणसिंह/शैतानसिंह पि.उमरदान जाति चारण निवासी उड ने नींव की खुदायी की है तथा वर्तमान मे भी मौके पर खाई खोदी हुई होना तहसीलदार/सिरोही ने बताया है। तथा भवदेशसिंह को मौके पर कब्जा नही होने से पक्षकार नही बनाया है। विचारण प्रकरण दण्ड प्रकिया सहिता 1973 की धारा 133 (घ) के तहत लोक न्यूसेन्स के अर्न्तगत आता है। राजस्थान सरकार के राजस्व ग्रुप–6 विभाग राज.जयपुर के परिपत्र दिनांक 3–10–2017 के अनुसार 1/50 वॉ भाग या 500 वर्गमीटर तक खातेदार अपनी खातेदारी कृषि भूमि को बिना कोई

हकदार है। इस प्रकार प्रार्थी (सायल) के अर्न्तगत धारा 177 आर.टी.एक्ट के तहत प्रकरण बनना नही पाया जाता है। प्रश्न यह है कि प्रार्थी (सायल) ने रूपये दो लाख से उपर क्षतिपूर्ति मुआवजा गैरसायलान से दिलाने की मांग की है इसका जवाब है कि पत्रावली पर ऐसी कोई तकनीकी जांच का दस्तावेज उपलब्ध नही है जिससे यह जाहिर होता हो कि प्रार्थी के पुश्तैनी मकान को किसी तरह की क्षति हुई है। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार/सिरोही व भू.अ.नि. जावाल की मौका जांच फर्द अनुसार गैरसायल नारायणसिंह द्वारा परिवादी हनुमानसिंह के मकान की नींव के पास जे.सी.बी. की सहायता से खाई खोद देने जिससे परिवादी का मकान क्षतिग्रस्त होने की संभावना बताया है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी सायल गैरसायल संख्या 1 व 2 से किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नही है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी (सायल) का यह प्रकरण अर्न्तगत धारा 133 सी.आर.पी.सी. के तहत विरूद्व गैरसायल संख्या 1 व 2 बाबत लोक न्यूसेन्स हटाने का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा अर्न्तगत धारा 133(5) सी.आर.पी.सी. के तहत यह न्यायालय गैरसायल संख्या 1 नारायणसिंह पुत्र उमरदान जी चारण निवासी उड को आदेश देता है कि सायल का मकान खसरा नंबर 159 किस्म पडत–ा स्वंय की खातेदारी (पिता के नाम) भूमि मे स्थित है तथा गैरसायल संख्या 1 व 2 का मकान प्रार्थी के पास व सटा हुआ है जो प्लोट के रूप मे है उक्त प्लॉट खसरा नंबर 160/619 किस्म आबादी मे स्थित है उक्त प्लॉट मे प्रार्थी के नींव के सहारे आप द्वारा लगभग 5 फीट गहरी नींव की खुदाई की है जिसमे बारिश के मौसम मे पानी भर सकता है जिससे सटे हुये मकान को खतरा हो सकता है। अतः आप 15 दिन के अन्दर अन्दर उक्त खोदी हुई नींव को मिटटी पत्थर सिमेण्ट आदि से भरकर समतल करें साथ ही साथ सरपंच ग्राम पंचायत उड को भी आदेश दिया जाता है कि यदि 15 दिन के भीतर गैरसायल नारायणसिंह द्वारा खोदी हुई नींव को गैरसायल नारायणसिंह स्वंय मिटटी पत्थरी/सिमेण्ट आदि से भरकर समतल नही करें तो आप ग्राम पंचायत उड के द्वारा मजदूर लगाकर मिटटी/पत्थर/सिमेण्ट से उक्त नींव को भरकर समतल करवाकर एक माह मे पालना रिर्पोट से इस न्यायालय को अवगत करावें। तथा उक्त कार्य करवाने का हर्जा खर्चा गैरसायल नारायणसिंह से वसूल करें । निर्णय सरे ईजलास सुनाया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

29/5/18

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 29–5–2018 को मेरे हस्ताक्षर/पदनाम व न्यायालय की मोल मुहर से जारी किया गया ।

29/5/18

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सिरोही